डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 94/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व ~~[illegible]~~ डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम पीलवा की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 420, 422, 423 मे गजवा पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निज.................... मुबलिंग......................... बाबत........................ खर्चा इस मुकदमे के मयसूद बशरह.................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.01.2020 को जारी की गई।

(मुहर: कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.)

दस्तखत............

ओहदा............ उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 94/19 तारीख रजूः– 14.08.2019

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरयि तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

2 पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांकः– 24.01.2020**

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीलवा मे खाता संख्या 420 कुल किता 27 कुल रकवा 6.66 है0 मे गजवा पुत्र उदयराम सा0 तिधरिया हिस्सा 1/10 तथा खाता संख्या 422 कुल किता 32 कुल रकवा 6.76 है ग्राम पीलवा मे गजवा पुत्र उदयराम हिस्सा 1/10 तथा खाता संख्या 423 मे किता 12 कुल रकवा 3.04 है0 ग्राम पीलवा मे गजवा पुत्र उदयराम सा0 तिधरिया दर्ज है। उक्त आराजी मे गजवा अशुद्व नाम है सही नाम खज्जू है वादी के आधार कार्ड मे भी खज्जू नाम है तथा वादी अन्य कृषि ग्राम रनमलपाडा तिधरिया मे खज्जू नाम दर्ज है। सहवन से पटवारी हल्का की गलती से ग्राम पीलवा की आराजी मे वादी का नाम खज्जू के स्थान पर गजवा दर्ज कर दिया है गजवा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम तिधरिया मे नही है इसलिये गजवा के स्थान पर खज्जू दर्ज होना है। वादी अशिक्षित ग्रामीण काश्तकार है इस गलती की जानकारी वादी जब के.सी.सी. कार्ड बनवाने के लिये पटवारी के पास दिनांक 26.7.19 को गया तब जानकारी हुयी। उसके बाद तहसीलदारजी से भी नाम दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया तब उन्होने कहा कि दावा पेश करो तब ही नाम शुद्व हो सकता है। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा खिलाफ प्रतिवादी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती नाम डिकी किया जाकर ग्राम पीलवा स्थित आराजी खाता संख्या 420 कुल किता 27 कुल रकवा 6.66 है0, खाता संख्या 422 कुल किता 32 कुल रकवा 6.76 है0 तथा खाता संख्या 423 मे किता 12 कुल रकवा 3.04 है0 मे रिकार्ड मे दर्ज नाम गजवा पुत्र उदयरम के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम दर्ज किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को नाम दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित किया है कि ग्रम पीलवा की आराजी खाता संख्या 420, 422, 423 मे वादी का हिस्सा 1/10 गजवा पुत्र उदयराम दर्ज है, साबिक जमाबन्दी सम्वत 2031–34 के खाता संख्या 3 मे अकित नामांतकरण संख्या 166 दिनांक 8.10.1977 के नोट के अनुसार वादी के पिता उदयराम पुत्र हंसे की विरासत के रूप मे वादी का नाम गजवा पुत्र उदयराम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जाति गूर्जर निवासी तिधरिया के नाम खातेदारी दर्ज हुई है पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि मजमेआम मे जॉच मे यह पाया कि गजवा पुत्र उदयराम खज्जू पुत्र उदयराम एक ही व्यक्ति है, ग्रम पीलवा की आराजी पर इसी व्यक्ति का कब्जा काश्त है। तथा ग्राम रनमलपाडा की आराजीयात मे खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर ही है एवं खज्जू व गजवा एक ही व्यक्ति है। इसलिये गजवा पुत्र उदयराम के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम नाम शुद्व किय जाना उचित है।

वादी वकील ने अपनी बहस मे वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि वादी गजवा पुत्र उदयराम जाति गूर्जर के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर दर्ज किया जावे। समस्त दस्तावेज आधारकार्ड एवं ग्राम रनमलपाडा की जमाबन्दी मे खज्जू पुत्र उदयराम नाम दर्ज है, गजवा नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है इसलिये वादी का दावा डिक्री किया जाकर नाम दुरूस्ती के आदेश फरमाये जावे।

बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम पीलवा सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 420, 422, 423 मे गजवा पुत्र उदयराम जाति गूर्जर दर्ज रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड न0 4761 8812 1119, एवं राशनकार्ड क्रमांक 00762, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र क्रमांक CYG/1267244 तथा वादी द्वारा प्रस्तुत ग्राम रनमलपाडा पटवारी हल्का तिधरिया की जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खात संख्या 7 मे वादी का नाम खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया दर्ज है। पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत पटवारी हल्का तिधरिया द्वारा तैयार फर्द मौका मे जॉच पश्चात नाम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा के आधार पर ग्राम पीलवा की खातेदारी की आराजीयात मे गजवा पुत्र उदयराम के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम शुद्व किया जाना न्यायोचित पाता हूॅं।

अतः ग्राम पीलवा की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 420, 422, 423 मे गजवा पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया के स्थान पर खज्जू पुत्र उदयराम जाति गूर्जर निवासी तिधरिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पर्चा डिक्री जारी करें।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/1/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena

Date: 2020.01.29 15:42:32 IST

Reason: SelfAttested

Location: